दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 26-08-2025

फटकार • सीजे की डिवीजन बैंच ने कहा-2016 में बनी सड़कें सिर्फ 9 साल में ही दरारों से भर गईं

NH पर दरारें-ब्लैक स्पॉट, हाई कोर्ट बोला-जनता को रिसर्च-रिपोर्ट पर नहीं छोड़ सकते, तुरंत सुधारें

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

रायपुर से बिलासपुर और पेंड्रीडीह से नेहरू चौक तक बनी नेशनल हाईवे की सीमेंट-कंक्रीट सड़कों की हालत पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि वर्ष 2016 में बनाई गई ये सड़कें महज 9 साल में ही दरारों से भर गई हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि वे रिसर्च और रिपोर्ट का इंतजार किए बिना तुरंत मरम्मत का काम शुरू करें। दोनों विभागों को शपथ पत्र देकर बताने को कहा गया है कि सड़क की मरम्मत और ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए गए। 4 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

एनएच समेत प्रदेश की सड़कों की स्थिति को लेकर लगाई गई जनहित याचिकाओं पर हाई कोर्ट के 5 अगस्त 2025 के आदेश के परिपालन में सोमवार को एनएचएआई ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। बताया कि रायपुर-सिमगा और सिमगा-पेंड्रीडीह तक मरम्मत और मेंटेनेंस का काम जारी है। 105.98 किमी में से 57.22 किमी सड़क किनारे की झाड़ियां हटा दी गई हैं। 53.2 किमी हिस्से में सड़क की सफाई की गई। 43 नए खतरे के संकेत, 17,795 रेट्रो-रिफ्लेक्टिव स्टिकर, 59 नए ट्रैफिक साइन और 14,658 रोड स्टड लगाए गए। 622 मीटर W-टाइप क्रैश बैरियर बदले और लगाए गए।18.4 किमी कर्ब पेंटिंग और 3.5 किमी कंक्रीट क्रैश बैरियर पेंटिंग कराई गई है। 1041 नई LED लाइट लगाई गई है।

जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सड़कों की हालत पर जताई नाराजगी

नेशनल हाइवे में दरारें इतनी बड़ी हैं कि बाइक और छोटे वाहनों के पहिए इसमें फंसकर फिसल रहे हैं और लोग अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो रहे हैं।

पीडब्ल्यूडी ने माना- 15 किमी सड़क पर दरारें

लोक निर्माण विभाग ने भी शपथ पत्र में स्वीकार किया कि पेंड्रीडीह चौक से नेहरू चौक तक बनी 15.375 किमी लंबी सीमेंट-कंक्रीट सड़क में जगह-जगह दरारें आ चुकी हैं। विभाग ने बजट में सड़क पर डामर बिछाकर नवीनीकरण का प्रस्ताव रखा है। साथ ही यह आशंका भी जताई कि यदि कंक्रीट पर सीधे डामर बिछाया गया, तो दोनों सतहें फट सकती हैं।

आईआईटी-एनआईटी से मांगें सुझाव

इसके अलावा बताया गया कि पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ने 7 अगस्त 2025 को एनआईटी रायपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की और सीएसआईआर दिल्ली को पत्र लिखकर तकनीकी विशेषज्ञों की मदद मांगी है। एनआईटी रायपुर ने जांच और मरम्मत का तकनीकी व आर्थिक प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन अन्य संस्थानों की राय का इंतजार है।

मेंटेनेंस के लिए 7 करोड़ से अधिक का टेंडर जारी

एनएचएआई ने रायपुर-सिमगा 48.58 किमी सड़क के रखरखाव के लिए 3.54 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर ठेकेदार को काम सौंप दिया है। वहीं, सिमगा-पेंड्रीडीह खंड के लिए अतिरिक्त 3.86 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिल्ली मुख्यालय भेजा गया है।

विशेषज्ञों से राय लेते रहें पर तत्काल सुधार जरूरी

हाई कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीर माना और कहा कि सड़क की दरारें और ब्लैक स्पॉट से हादसे होना तय है। आप विशेषज्ञों से राय लेते रहिए, लेकिन तत्काल सुधार जरूरी है। जनता को रिसर्च के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कहा कि लोक निर्माण विभाग के सचिव तत्काल सकारात्मक कदम उठाते हुए मरम्मत का काम करें।

ब्लैक स्पॉट के साथ ही एनएच पर बह रहा पानी

न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि रतनपुर से सेंदरी तक सड़क पर कई जगह ब्लैक स्पॉट हैं। पास के नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सीधे हाईवे पर बहता है, जिससे सड़क और भी खतरनाक हो गई है। इस पर हाई कोर्ट ने एनएचएआई शपथ पत्र देकर बताने को कहा कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।